Reg. No. GR/RNP/GOA/32

RNI No. GOAENG/2002/6410

Panaji, 23rd October, 2007 (Kartika 1, 1929)

SERIES II No. 29

# OFFICIAL GAZETTE

## GOVERNMENT OF GOA

# EXTRAORDINARY
# No. 4

### GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

—

**Order**

No. 5-89-2007/ELEC/3930

The following Order No. 3/4/ID/2007/J.S.II/(GOA) dated 16th October, 2007 issued by the Election Commission of India, New Delhi, is hereby published for general information.

*K. B. Surjuse*, Joint Chief Electoral Officer.

Panaji, 22nd October, 2007.

———

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi - 110001.

*Dated:* 16th October, 2007.

——

**Order**

No. 3/4/ID/2007/J.S.II/(GOA)

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under Section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electoral Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electoral Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Goa, have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the

constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 2—Mormugao Parliamentary Constituency in Goa, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current bye-election in the aforesaid constituency, notified on 5th October, 2007;

9. The Election Commission will, however, permit the electors who have not been issued their EPICs to vote at the current bye-election, provided their identity is otherwise established by the production of any of the following alternative documents:-

(i) Passports,

(ii) Driving Licences,

(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,

(iv) Service Identity Cards with photograph issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings,

(v) Passbooks with photograph issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbooks (Accounts opened on or before 31-8-2007),

(vi) Student Identity Cards with photograph issued by Recognised Educational Institutions on or before 31-8-2007,

(vii) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds etc. with photograph,

(viii) Ration Cards with photo of the Head of the family issued on or before 31-8-2007,

(ix) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority on or before 31-8-2007,

(x) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex--servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order with photograph, Widow Pension Order with Photograph,

(xi) Freedom Fighter Identity Cards,

(xii) Arms Licenses with photograph issued on or before 31-8-2007,

(xiii) Certificate of Physical Handicap with photograph issued by Competent Authority, on or before 31-8-2007.

10. It is clarified that any document, as enumerated above, which is available only for the Head of Family, shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family, provided all members come together and can be identified on the basis of such document.

By Order,

*K. F. Wilfred*
Secretary

---

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली—११० ००१.

१६ अक्तूबर, २००७.

—

## आदेश

सं. 3/4/आई.डी./2007/न्या. अनु. II (गोवा)

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ६१ में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा ६२ के अधीन असली निर्वाचको के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रुप में निर्वाचको के लिए निर्वाचक पहचान—पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

२. यत:, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० का नियम २८ निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचको के प्रतिरुपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके

फोटोग्राफ सहित निर्वाचक–पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

३. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ४९ ज (३) और ४९ ट (२) (ख) में यह अनुबंध है कि जिन निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० के नियम २८ के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किये गये है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है; और

४. यत:, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधो के सामंजस्य और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथाति यह निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनो को ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

५. यत:, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निदेश देते हुए २८ अगस्त, १९९३ को एक आदेश दिया था; और

६. यत:, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु किया गया है, गोवा के निर्वाचन–तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छुटे हुए निर्वाचको, को ध्यान में रखते हुए पहचान–पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्रों और इलाकों मे अनेक चकों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को पहचान–पत्र जारी किए है; और

७. यत:, जनवरी–मार्च, २००० में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों, और तब से अब तक सभी साधारण तथा उप–निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके है, मतदान करते समय अपने पहचान–पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होने निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्राप्त नहीं किए है, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

८. अत:, अब सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि गोवा राज्य में २–मोरमुगाओ ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी किए गए है उन्हे ५ अक्टूबर, २००७ को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए चालू उप निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा ।

९. तथापि, निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों को चालू उप निर्वाचन में मत देने की अनुमति देगा, जिन्होंने मतदाता पहचान–पत्र प्राप्त नहीं किए है, बशर्ते उनकी पहचान निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर अन्यथा स्थापित हो जाती है:–

(i) पासपोर्ट ।

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(iii) आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.) ।

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर/किसान फोटोयुक्त पासबुक (३१–८–२००७ को या उससे पूर्व खोला गया खाता) ।

(vi) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ३१–८–२००७ को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान–पत्र ।

(vii) फोटायुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि ।

(viii) ३१–८–२००७ को या उससे पूर्व जारी परिवार के, मुखिया की फोटोयुक्त राशन कार्ड ।

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ३१–८–२००७ को या उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अति पिछडा वर्ग प्रमाण–पत्र ।

(x) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृध्दावस्था पेंशन आदेश/ /विधवा पेंशन आदेश ।

(xi) स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र ।

(xii) ३१–८–२००७ को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ।

(xiii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ३१–८–२००७ को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र ।

१०. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर गिनाए गए किसी दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, की अनुमति परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी दी जानी चाहिए, बशर्ते कि परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया के साथ आए तथा परिवार के मुखिया द्वारा मतदान केन्द्र पर उन की पहचान स्थापित की जाए ।

आदेश से,

*के. एफ. विल्फ्रेड*
सचिव

www.goagovt.nic.in/gazette.htm

GOVERNMENT PRINTING PRESS,
PANAJI-GOA.
**PRICE–Rs. 4.00**